उचित दर दुकान-सह-गोदामों का निर्माण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को उचित दर दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं (चावल, गेहूं, मोटा अनाज तथा चीनी) वितिरत की जाती हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की संयुक्त जवाबदेही में प्रचालित की जाती है। भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं/गोदामों से खाद्यान्नों का उठान करने, माध्यमिक भंडारण सुविधाओं तक इसका परिवहन करने तथा वहां से उचित दर दुकानों तक इनकी सुपुर्दगी करने की जवाबदेही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उचित दर दुकानों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत लाइसैंस प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम डिपुओं/गोदामों से जारी की गई आवश्यक वस्तुओं की सुपुर्दगी अपनी निर्दिष्ट एजेंसियों अथवा नामितियों द्वारा लेने का प्रबंध करेंगी तथा जिस माह के लिए आबंटन किया गया है, उसके पहले सप्ताह के भीतर उचित दर दुकानों तक इसकी सुपुर्दगी सुनिश्चित करेंगी।

योजना आयोग ने इस योजना को अनुमोदित नहीं किया है।

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	बजट अनुमान **(बीई)**	संशोधित अनुमान **(आरई)**	वास्तविक व्यय **(एई)**
2012-13	5.00	00.00	00.00